

# कार्यालय— निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:—शिविरा/माध्य/मा-ब/22803/SAT-19 / 2018-19 /

दिनांक: 09.08.19

1. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी  
एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक,  
समग्र शिक्षा अभियान।
2. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी  
एवं पदेन ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी,  
समग्र शिक्षा अभियान।

**विषयः— ब्लॉक/जिला/राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह—2019 हेतु पात्र शिक्षकों से ऑन लाईन आवेदन लिये जाने बाबत।**

**प्रसंगः— शासन का पत्रांक: प.18(1) शिक्षा-2/2019 जयपुर, दिनांक: 09.08.19**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक शासकीय स्वीकृति के क्रम में लेख है कि शिक्षा विभाग में अध्ययन-अध्यापन की उत्कृष्टता में सतत सुधार एवं प्रोत्साहन हेतु इस वर्ष से पात्र शिक्षकों के चयन में सम्पूर्ण पारदर्शिता तथा प्रत्येक श्रेणी के शिक्षकों को पुरस्कार चयन में समान अवसर प्रदान किये जाने के दृष्टिगत ब्लॉक/जिला/राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह—2019 का आयोजन अग्रांकित प्रक्रियात्मक, संख्यात्मक एवं आयोजन तिथियों में परिवर्तन करते हुए किया जाना निश्चित किया गया है, जिसका विवरण अग्रानुसार है:—

## 1. विभिन्न स्तरों पर शिक्षक सम्मान समारोह आयोजन की योजना :—

क्र. सं.	विवरण	कक्षा वर्ग	शिक्षक सम्मान समारोह का स्तर		
			ब्लॉक स्तर	जिला स्तर	राज्य स्तर
1	सम्मान हेतु निर्धारित शिक्षकों की संख्या	कक्षा 1 से 5	01	01	01
		कक्षा 6 से 8	01	01	01
		कक्षा 9 से 12	01	01	01
2	आवेदन हेतु न्यूनतम शिक्षण अनुभव		न्यूनतम तीन वर्ष का कक्षा शिक्षण अनुभव/सेवावधि आवेदन पात्रता हेतु निर्धारित किया जाता है।	न्यूनतम तीन वर्ष का कक्षा शिक्षण अनुभव/सेवावधि आवेदन पात्रता हेतु निर्धारित किया जाता है।	वर्तमान में सेवावधि/शिक्षण अनुभव संस्था प्रधान एवं अन्य शिक्षकों हेतु क्रमशः 20 एवं 15 वर्ष निर्धारित है, संशोधन उपरांत दोनों हेतु न्यूनतम सेवावधि/शिक्षण अनुभव 3 वर्ष निर्धारित किया जाता है।
3	पुरस्कार का स्वरूप		5100/- प्रति शिक्षक पुरस्कार राशि एवं प्रमाण पत्र	11000/- प्रति शिक्षक पुरस्कार राशि एवं प्रमाण पत्र	21000/- प्रति शिक्षक पुरस्कार राशि एवं प्रमाण पत्र
4	आयोजन तिथि		02 अक्टूबर (गांधी जयंती के अवसर पर)	02 अक्टूबर (गांधी जयंती के अवसर पर)	5 सितंबर (शिक्षक दिवस के अवसर पर)

EMAIL: secondarydd2@gmail.com, ad.secondary.dse@rajasthan.gov.in

38 | P A G E | \2019 MA-B\State Teacher Award 2019.docx

**2. पुरस्कृत किये जाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या:-**

- a- ब्लॉक स्तर पर कुल पुरस्कृत शिक्षकों की संख्या =  $301 \times 3 = 903$
- b- जिला स्तर पर कुल पुरस्कृत शिक्षकों की संख्या =  $33 \times 3 = 99$
- c- राज्य स्तर पर कुल पुरस्कृत शिक्षकों की संख्या =  $33 \times 3 = 99$

कुल योग =  $903 + 99 + 99 = 1101$

**3. समय सारणी:-**

क्र. स.	उत्तरदायी व्यक्ति / कार्यालय	विवरण	निर्धारित तिथि / समयावधि
1	आवेदन प्रस्तुत करने वाले शिक्षक के लिए	आवेदन हेतु तैयारी यथा वांछित दस्तावेज संकलन, प्रमाणीकरण इत्यादि।	दिनांक 13.08.19 से पूर्व तक
		शाला दर्पण के माध्यम से ऑन-लाईन आवेदन।	दिनांक 13.08.19 से 16.08.19 मध्यरात्रि तक
		आवेदन प्रति की हार्ड कॉपी एवं वांछित दस्तावेजों की पंजिका तैयार कर CCEO कार्यालय में जमा करवाना (तीन प्रतियों में)।	दिनांक 14.08.19 से 17.08.19 प्रातः 10:00 बजे तक (वाहक स्तर पर)
2	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (CCEO) कार्यालय	प्राप्त आवेदनों की जांच, साक्षों का विश्लेषण एवं भौतिक सत्यापन।	दिनांक 17.08.19 से 19.08.19 तक
		प्रत्येक कक्षा वर्ग से तीन उच्च वरीयता वाले शिक्षकों का चयन कर प्रथम दो वरीयता वाले प्रस्तावों का CCEO कार्यालय को ऑन-लाईन अग्रेषण।	दिनांक 20.08.19 मध्यरात्रि तक
		प्रत्येक कक्षा वर्ग से अग्रेषित दोनों प्रस्तावों की हार्ड कॉपी मय वांछित संलग्नक CCEO कार्यालय में (दो प्रतियों में) प्रेषित करना।	दिनांक 21.08.19 प्रातः 10:00 बजे तक (वाहक स्तर पर)
3	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (CDEO) कार्यालय	CCEO कार्यालय से कक्षा वर्गवार प्राप्त प्रस्तावों की संवीक्षा उपरांत प्रत्येक वर्ग से उच्चतम वरीयता वाले प्रस्ताव का ऑन-लाईन अग्रेषण निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को करना।	दिनांक 22.08.19 की मध्यरात्रि तक
		प्रत्येक कक्षा वर्ग से अग्रेषित तीन-तीन प्रस्ताव की हार्ड कॉपी मय वांछित संलग्नक निदेशालय को (एक प्रति में) प्रेषित करना।	दिनांक 23.08.19 को प्रातः 10:00 बजे तक (वाहक स्तर पर)

**4. कक्षा वर्ग का निर्धारण:-**

- शिक्षक के कक्षा वर्ग का निर्धारण उसके द्वारा अध्यापन करवाई जाने वाली कक्षाओं के आधार पर संस्था प्रधान द्वारा किया जायेगा। (विद्यालय के कक्षावार कालांश विवरण एवं समय-विभाग चक्र की प्रति आवेदन के संलग्न की जायेगी)
- संस्था प्रधान स्वयं के द्वारा आवेदन किये जाने की स्थिति में उसके द्वारा विद्यालय में अध्यापन करवाई जाने वाली कक्षाओं (विद्यालय के कक्षावार कालांश विवरण एवं समय-विभाग चक्र की प्रति आवेदन के संलग्न की जायेगी) के आधार पर कक्षा वर्ग निर्धारित करते हुए सूक्ष्म अंक योजना में परीक्षा परिणाम की गणना विद्यालय की कक्षा-5 एवं 8 में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त ग्रेड तथा कक्षा 10 एवं 12 के बोर्ड परीक्षा परिणाम का कुल औसत निकाला जाकर की जायेगी।
- उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शारीरिक शिक्षक द्वारा कक्षा 6 से 8 के वर्ग तथा माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शारीरिक शिक्षक द्वारा कक्षा 9 से 12 के वर्ग में आवेदन किया जायेगा।

EMAIL: secondarydd2@gmail.com, ad.secondary.dse@rajasthan.gov.in

## 5. आवेदन प्रक्रिया:-

- इस वर्ष शिक्षकों द्वारा स्वयं ऑन-लाईन आवेदन शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा।
- उक्त आवेदन की ऑन-लाईन पूर्ति उपरांत आवेदन की हार्ड कॉपी निकाली जाएगी, जिसे संबंधित संस्था प्रधान द्वारा आवेदन पत्र से संबंधित समस्त संलग्नकों/साक्ष्यों सहित तीन प्रतियों में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्रमाणीकरण उपरांत वाहक स्तर पर जमा करवाया जायेगा।
- उक्त आवेदन हेतु नव निर्मित मॉड्यूल दिनांक: 13.08.19 को शाला दर्पण पोर्टल पर लाईव होगा तथा दिनांक: 16.08.19 की मध्यरात्रि तक पात्र शिक्षक ऑन-लाईन आवेदन कर सकेंगे।
- प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन कार्यरत शिक्षक शाला दर्पण पोर्टल के स्टाफ कॉर्नर पर शिक्षक सम्मान लिंक पर स्वयं के लॉगिन द्वारा पंजीकरण उपरांत आवेदन कर सकेंगे। ऐसे विद्यालय, जिनकी मेपिंग शाला दर्पण पोर्टल पर नहीं है, में कार्यरत शिक्षक शाला दर्पण पर पर शिक्षक सम्मान से संबंधित लिंक पर पंजीकरण उपरांत दिनांक: 16.08.19 को रात्रि 12:00 बजे तक ऑन-लाईन आवेदन कर सकेंगे।
- संबंधित संस्था प्रधान/पी.ई.ई.ओ./नियंत्रण अधिकारी द्वारा उक्तानुरूप शाला दर्पण पर अपलोड किये गये उक्त आवेदन की हार्ड कॉपी मय समस्त वांछित संलग्नक पंजिका (तीन प्रतियों में) दिनांक: 17.8.19 तक प्रमाणित कर संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को वाहक स्तर पर आवश्यक रूप से जमा करवायी जायेगी।
- मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदनों का भौतिक साक्ष्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन उपरांत दिनांक: 20.08.19 तक प्राप्त आवेदनों में से उपर्युक्त वर्णित तीनों वर्गों से उच्चतम वरीयता वाले तीन आवेदनों का चयन किया जायेगा।
- आवेदनों की वरीयता का निर्धारण संलग्न प्रेषित 100 अंकों की सूक्ष्म अंक योजना में प्राप्तांकों के आधार पर किया जायेगा तथा उक्तानुरूप अंकों की प्रविष्टि ऑन-लाईन शाला दर्पण पर CBEOS लॉगिन से की जायेगी।
- ब्लॉक स्तर पर प्रत्येक कक्षा वर्ग में उच्चतम वरीयता के तीन शिक्षकों का चयन अग्रांकित ब्लॉक स्तरीय चयन समिति द्वारा किया जायेगा।

क्र.सं..	अधिकारी का पदनाम	चयन समिति में दायित्व
1	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
2	अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी—प्रथम	सदस्य
3	अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी—द्वितीय	सदस्य सचिव

- उपर्युक्त समिति ब्लॉक क्षेत्राधिकार में प्राप्त समस्त ऑन-लाईन आवेदनों का भौतिक साक्ष्यों एवं दस्तावेजों (आवेदन की प्रमाणीकृत हार्ड कॉपी के साथ संस्था प्रधान द्वारा प्रेषित) के आधार पर मूल्यांकन 100 अंकों की सूक्ष्म अंक योजना (ग्राउण्ड एसेसमेंट सहित) के आधार पर करने हेतु उत्तरदायी होगी।
- उक्त समिति से संबंधित सदस्य के पद रिक्त होने की अवस्था में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/कार्यवाहक मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी क्षेत्राधिकार में पदस्थापित प्रधानाचार्य समकक्ष अधिकारी का मनोनयन करने हेतु अधिकृत होंगे।
- उपर्युक्त समिति प्रत्येक कक्षा वर्ग में से उच्चतम वरीयता के तीन—तीन शिक्षकों का चयन कर उनमें से प्रत्येक वर्ग में प्रथम दो वरीयता वाले आवेदन मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को अग्रेषित करेगी।

## 6. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदनों का अग्रेषण:-

- अधीनस्थ ब्लॉक कार्यालयों द्वारा तीनों कक्षा वर्गों से अग्रेषित दो—दो शिक्षकों के आवेदन का दिनांक: 21.08.19 को ही आवश्यक रूप से समेकन मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा किया जायेगा।

- तत्पश्चात उक्त आवेदनों की समुचित संवीक्षा उपरांत जिले में प्रत्येक वर्ग से उच्चतम वरीयता के तीन-तीन आवेदन का निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को दिनांक: 22.08.19 को शाला दर्पण पर CDEO लॉगिन से ऑन-लाईन अग्रेषण किया जाना मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
  - अधीनस्थ ब्लॉक कार्यालयों द्वारा अग्रेषित आवेदनों की समुचित संवीक्षा एवं राज्य स्तरीय समिति को प्रत्येक कक्षा वर्ग से एक-एक अग्रेषित किये जाने वाले आवेदनों के चयन हेतु अग्रांकित विवरणानुसार जिला स्तरीय चयन समिति का गठन किया जाता है:-
- | क्र.सं. | अधिकारी का पदनाम   | चयन समिति में दायित्व |
|---------|--|-----------------------|
| 1       | मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी                                    | अध्यक्ष               |
| 2       | जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-माध्यमिक                      | सदस्य                 |
| 3       | जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-प्रारंभिक                     | सदस्य                 |
| 4       | संबंधित जिले में राष्ट्र स्तरीय शिक्षक सम्मान प्राप्त शिक्षक | सदस्य                 |
| 5       | सहायक निदेशक, कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी             | सदस्य सचिव            |
- उपर्युक्त सदस्यों में से पद रिक्त होने अथवा पात्र सदस्य के अभाव में उसके स्थान पर समिति अध्यक्ष जिला क्षेत्राधिकार में किसी प्रधानाचार्य समकक्ष शिक्षाधिकारी का मनोनयन कर सकेंगे।

## 7. राज्य स्तरीय चयन समिति :-

- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों द्वारा तीनों कक्षा वर्ग से तीन-तीन शिक्षकों के चयन के अनुरूप समस्त 33 जिलों से राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान हेतु अग्रेषित कुल 297 आवेदनों की पात्रता जांच एवं संवीक्षा उपरांत अग्रांकित राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा राज्य स्तरीय सम्मान समारोह हेतु 99 शिक्षकों का अंतिम चयन किया जायेगा।

क्र.सं.	अधिकारी का पद नाम	चयन समिति में दायित्व
1	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर	अध्यक्ष
2	प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर	सदस्य
3	प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, अजमेर	सदस्य
4	उप निदेशक (माध्यमिक), कार्यालय हाजा	सदस्य सचिव

- उपर्युक्त समिति द्वारा चयनित 99 शिक्षकों को शासकीय अनुमोदनोपरांत दिनांक 05 सितंबर 2019 को शिक्षक दिवस के अवसर पर जयपुर में आयोज्य भव्य राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में पुरस्कृत किया जायेगा।

## 8. ब्लॉक/जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह:-

- नवीन शिक्षक सम्मान योजना के अनुसार आवेदित शिक्षकों में से ब्लॉक स्तर पर श्रेणीवार तीन-तीन शिक्षकों (कक्षा 1 से 5 को पढ़ाने वाले-3, कक्षा 6 से 8 को पढ़ाने वाले-3 तथा कक्षा 9 से 12 को पढ़ाने वाले-3) का चयन किया जाना है। इस तरह से कुल 2709 (3x3x301) शिक्षक ब्लॉक स्तर पर चिह्नित/सूचीबद्ध किये जाएंगे।
- ब्लॉक स्तर पर चिह्नित शिक्षकों में से प्रत्येक वर्ग से उच्च वरीयता वाले दो-दो शिक्षकों के नाम जिला स्तर पर अग्रेषित किए जाएंगे। इस प्रकार जिला स्तर पर कुल 1806 (2x3x301) नाम चिह्नित किए जाएंगे। इन 1806 में से प्रत्येक जिले से प्रत्येक श्रेणी के तीन नाम अर्थात् कुल 297 (3x3x33) नाम राज्य स्तर पर अग्रेषित किए जाने हैं।
- राज्य स्तर पर प्राप्त 297 प्रस्तावों में से प्रत्येक श्रेणी का एक प्रस्ताव अर्थात् कुल 99 प्रस्ताव (3x33) राज्य स्तरीय सम्मान हेतु चयनित किये जाने हैं, शेष 198 (297-99) अचयनित पुनः अपने-अपने जिले में भेजे जाएंगे, जिनका अंकन जिले एवं ब्लॉक पर पूर्व में ही हो चुका है।
- जिला स्तर पर राज्य स्तर से लौटाए गये (198) तथा पूर्व में अग्रेषित नहीं किये गये 1608 (1806-198) चिह्नित आवेदनों में से उच्च वरीयता वाले तीन आवेदन, प्रत्येक श्रेणी से एक-एक अर्थात् कुल 99 (3x33) जिला स्तर पर शिक्षक सम्मान हेतु चयनित किये जाएंगे एवं शेष 1509 (1608-99) आवेदन ब्लॉक स्तर पर लौटाए जाएंगे, जिनमें से प्रत्येक श्रेणी में से शेष में से सर्वोच्च

- वरीयता वाले एक-एक (राज्य एवं जिला स्तर पर घयनित के अतिरिक्त शेष में से), कुल 903 (3x301) शिक्षकों को ब्लॉक स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में सम्मानित किया जाना है।
- उक्तानुरूप ब्लॉक/जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह गांधी जयंती के अवसर पर दिनांक 02 अक्टूबर 2019 को आयोजित किये जाने हैं। उक्त समारोह के आयोजन पेट्रे प्रति ब्लॉक दस हजार रु तथा प्रति जिला एक लाख रु की राशि राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर द्वारा प्रदान की जायेगी।

#### 9. पात्रता:-

- नियमित कार्यरत शिक्षक/संस्था प्रधान, जिन्हें न्यूनतम तीन वर्ष का विद्यालयी शिक्षण अनुभव (आधार तिथि- 30 जून, 2019) है, उक्त पुरस्कार हेतु ऑन-लाईन आवेदन करने के पात्र होंगे।
- संबंधित संस्था प्रधान/नियंत्रण अधिकारी आवेदन के अग्रेसण से पूर्व यह भली प्रकार जांच लेवें कि आवेदक के विरुद्ध किसी भी प्रकार की विभागीय जांच/कार्यवाही धर्तमान में लंबित नहीं है तथा सेवाभिलेख के अनुसार पूर्व में भी किसी भी प्रकार की दंडनीय/निलंबन की कार्यवाही नहीं की गई है तथा आरोप पत्र नहीं दिया गया है।

उपर्युक्त निर्देशों का क्षेत्राधिकार में अधिकाधिक प्रचार-प्रसार हेतु समुचित कार्यवाही सम्पादित करते हुए निर्धारित समयावधि में पात्र शिक्षकों के शाला दर्पण के माध्यम से ऑन-लाईन आवेदन की सुनिश्चितता करावें। सहज संदर्भ हेतु ऑन-लाईन आवेदन की हाई-कॉर्पी तथा सूक्ष्म अंक योजना (सामान्य शिक्षक/शारीरिक शिक्षक/विशेष शिक्षक हेतु पृथक-पृथक) अग्रिम तौर पर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न:-उपर्युक्तानुसार

(निशमल डिल)

IAS

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद सह विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
- राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान एवं अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान शिक्षा परिषद, जयपुर।
- शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
- निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- सचिव, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर।
- सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
- प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर/अजमेर।
- समस्त प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान।
- सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड करने हेतु।
- उप निदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, जयपुर।
- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा।
- सहायक निदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, कार्यालय हाजा।
- स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
- निजी/रक्षित पत्रावली।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर